हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/12/2025	वकील अपीलान्ट हाजिर। धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। पत्रावली निर्णय हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 30/12/2025 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
30/12/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट हाजिर। पत्रावली धारा 5 मियाद अधिनियम पर संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गुमाना के नामान्तरण संख्या 379 निर्णय दिनांक 7.5.2002 विरासत के नामान्तरण में रेस्पोण्डेन्ट संख्या 4 का नाम दर्ज हो जाने की जानकारी सम्बन्धित पटवार हल्की एवं नामान्तरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 26.11.2024 को प्राप्त करने से हुई फिर भी कानूनी अड़चनों से बचने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है जिसमे अपीलान्ट अनपढ़ ग्रामीण महिला होने से कानून की जानकारी के अभाव और दस्तावेजों में इन्द्राज व फेर बदल होने की जानकारी नहीं होने से उक्त अपील पेश करने में देरी हुई इसलिए मियाद का समय कन्डोन फरमाया जाकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार फरमाया जाना आवश्यक व न्यायहित में है। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र पेश है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2024 RSR (Rev.) 323 व AIR 1996 राजस्थान 119: 1996(1) वे.ला.के (राज.) 1996 RRD 200, 1995 रा.ला.रि. 602 प्रस्तुत किये। वकील रेस्पोण्डेन्ट द्वारा जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस हेतु निवेदन किया व मौखिक बहस निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 379 दिनांक 7.5.2002 से ही अपीलान्ट को जानकारी है। ग्राम पंचायत की मौजूदगी में अपीलान्ट

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	नामान्तरण बाद स्वयं उपस्थित नहीं व अपीलान्ट की अंगूठा निशानी नहीं है। धारा 5 प्रा०प० में नामान्तरण की जानकारी दिनांक 26.11.2014 से होना अपीलान्ट ने जाहिर किया है जो झूठा व मिथ्या तथ्य है। इसलिये मियाद का समय कन्डोन किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। व अन्त में धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया व अपने हक में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये - 2007(2) RRT 788, 2007(2) RRT 939, 2017(1) RRT 117, 2009-10 (SUPP.) RRT 535 है जो संलग्न है। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली, नामान्तरण संख्या 379 व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट की बहस नामान्तरण संख्या 379 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में कोई ठोस खण्डन नहीं किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में विलम्ब का कारण अपीलान्ट को नामान्तरण की जानकारी नहीं होने से सम्बन्धित है जबकि अपीलान्ट के हस्ताक्षर नामान्तरण संख्या 379 पर है जो कि ग्राम पंचायत की कोरम में निर्मित नामान्तरण है जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलान्ट को नामान्तरण की जानकारी दिनांक 7.5.2002 से है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रार्थनापत्र/अपील पर लागू नहीं होता है। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब 23 वर्ष पश्चात अपील पेश की है अपीलान्ट को नामान्तरण की जानकारी 23 वर्ष पूर्व थी किन्तु अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का कारण उचित रूप से एवं संतोषप्रद ढंग से स्पष्ट नहीं किया है ना ही अपने प्रार्थना पत्र व उचित रूप में दर्शाया है अतः उपरोक्त आधार पर न्यायालय विलम्ब उपशमन	

सहायक कलेक्टर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

नहीं कर सकता है। साथ ही अपीलान्ट को
उदासीनता का लाभ मियाद अधिनियम में
नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा
प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त अपील में लागू
होते हैं। नामान्तरण संख्या 370 का अवलोकन
से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत
की बैठक के [illegible] में लिखित नामान्तरण
है जिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अतः
यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलान्ट
को नामान्तरण की जानकारी पत्रावली की नकल
लेने से दिनांक 26.11.2024 को हुई है।
अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम
प्रार्थना पत्र में स्वयं को अनपढ़ बताया है जिसमें
प्रस्तुत तथ्य आधारहीन होकर भ्रामक है।
अपीलान्ट को नामान्तरण की जानकारी दिनांक
7.5.2002 से अर्थात 23 वर्ष से है। और
अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने
के के सम्बन्ध में कोई ठोस स्पष्टीकरण
नहीं दिया है व झूठे व आधारहीन तथ्य
प्रस्तुत किये है जिससे मियाद का समय
कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता
है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना
पत्र अस्वीकार किया जाता है व अपील मियाद
बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती
है। पत्रावली बाद तकमील होकर दफ्तर में
जमा हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़